

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 145/25

तारीख दायर 11/6/25

1- सुगरीबाई पत्नि भगवतीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी  
गोरधनपुरा तहसील डावी जिला बून्दी (राज.) -प्रार्थी

बनाम

1-कन्हैयालाल पुत्र शंकरालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी चांदजी की  
खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

2-प्रभू पुत्र नाराण जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी चांदजी की खेडी  
तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

3-शंकर पुत्र नाराण जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी चांदजी की खेडी  
तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.) *विजोपत्र*

4-जयलाल पुत्र गोकल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी चांदजी की खेडी  
तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.) *विजोपत्र*

5-राजेश पुत्र कजोड जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी चांदजी की खेडी  
तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

6 अशोक पुत्र मोहनलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी चांदजी की खेडी  
तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

7-भू स्वामी मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

-विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

:-आदेश:-



दिनांक 27/6/25

प्रार्थनापत्र कैलाश, हरिओम, राधेश्याम, ओमा, गायत्री, पुष्पा पुष्पा  
पुत्र/पुत्री भगवतीलाल, सुगरी पत्नि भगवतीलाल ने जरिये अभिभाशक  
**श्री मनीष धाकड एडवोकट** प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे  
एकल/संयुक्त खाते कि **भूमि मौजा ग्राम चांदजी की खेडी पटवार**  
**क्षेत्र चांदजी का खेडा भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सलावटिया तहसील**  
**बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.) में स्थित खाता संख्या 423 आराजी**  
**नंबर 542 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, आराजी नंबर 543 रकबा 0.1700 हैक्टेयर,**  
**आराजी नंबर 765 रकबा 0.3399 हैक्टेयर, कुल किता 3 रकबा 0.6313**  
**हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा**

*3*

फरसद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद में शापथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र रजिस्टर करवाया गया है। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 जमाबंदी 2077 का अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात का खातेदार / गैर खातेदार का तकार है। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम चांदजी की खेडी पटवार क्षैत्र चांदजी का खेडा भू-अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा(राज.) में स्थित खाता संख्या 423 आराजी नंबर 542 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, आराजी नंबर 543 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, आराजी नंबर 765 रकबा 0.3399 हैक्टेयर, कुल किता 3 रकबा 0.6313 हैक्टेयर भूमि की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/-रूपये राजकोश मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियों को लिखा जावे ।

प्रार्थनापत्र निर्णित हो कर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियों

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :-

145/25

तारीख दायर

11/6/25

प्रेषित:-

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या ..... 145/25 ..... पत्थरगढी बाबत।

1. सुगरीबाई पत्नि भगवतीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी गोस्धनपुरा तहसील डाबी जिला बून्दी (राज.) -प्रार्थी

बनाम

1-कन्हैयालाल पुत्र शंकरालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी चांदजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

2-प्रभू पुत्र नाराण जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी चांदजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

3-शंकर पुत्र नाराण जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी चांदजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.) *बिलोपित*

4-जयलाल पुत्र गोकल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी चांदजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.) *बिलोपित*

5-राजेश पुत्र कजोड जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी चांदजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

6 अशोक पुत्र मोहनलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी चांदजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

7-भू स्वामी मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.) -विपक्षीगण

उपर्युक्त विशयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम चांदजी की खेडी पटवार क्षेत्र चांदजी का खेडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.) में स्थित खाता संख्या 423 आराजी नंबर 542 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, आराजी नंबर 543 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, आराजी नंबर 765 रकबा 0.3399 हैक्टेयर, कुल किता 3 रकबा 0.6313 हैक्टेयर भूमि की बशमलात पडोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार तय कि जाती है वक्त मैके पर प्रार्थीगण अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पडोसी एवं विपक्षीगणो वो सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उपखण्ड अधिकारी

बिजौलियाँ